

हेट स्पीच

प्रलिस के लयल:

[भाषण की स्वतंत्रता, जन प्रतनलधलतलव अधनलयलम, 1951 \(RPA\), हेट स्पीच](#)

मेन्स के लयल:

संसद और राज्य वधलनमंडलों की संरचना, कामकाज, कामकाज का संचालन, शक्तलयीं और वशलषाधकर तथल इनसे उत्पन्न होने वाले मुददे ।

[सरोत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चरुा में क्यीं?

एसोसलशन फॉर डेमोक्रेटकल रलफॉर्मस (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) के हालयल वशल्लेषण से पतल चलतल है कल भारत में बड़ी संख्यल में सांसदों के खललफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले दरुज हैं ।

- कुल 107 संसद सदस्यीं (सांसदों) और वधलन सभल सदस्यीं (वधलयकों) के खललफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले दरुज हैं ।
- ऐसे नषलकृष सत्तल के पदों पर बैठे लोगों के बीच नैतकल आचरण की आवश्यकतल को उजागर करते हैं ।

टपलपणी:

- NEW वरुष 2002 से शुरु एक राष्ट्रव्यलपी अभयलन है जसलमें 1200 से अधकल गैर-सरकलरी संगठन (NGO) और अन्य नलगरकल-नेतृत्व वाले संगठन शलमलल हैं जो भारत में चुनलव सुधलर, लोकतंत्र एवं शासन में सुधलर पर एक साथ मललकर काम कर रहे हैं ।
- ADR एक भारतीय गैर सरकलरी संगठन (NGO) है जसलकी स्थापनल 1999 में नई दललली में हुई थी ।

हेट स्पीच

- परचलय:
 - भारत के वधल आयोग की 267वीं रपलरुट में घृणलसपद भाषण को मुख्य रूप से नसल, जलतीयतल, लगल, यौन अभवलनयलस, धलरुमकल वशलवस और इसी तरह के संदरुभ में परभलषतल वयक्तलयीं के एक समूह के खललफ नफरत को उकसलने वलल बतलल गयल है ।
 - भाषण कल संदरुभ यह नरुधलरतल करने के लयल महत्त्वपूर्ण है कल यलह नफरत फैलाने वलल भाषण है यल नही ।
 - यह नफरत, हसल, भेदभलव और असहषलणुतल को उकसलकर लकृषतल वयक्तलयीं एवं समूहों के साथ-साथ बड़े पैमलने पर सभलज को नुकसन पहुंचल सकतल है ।
- भारत में हेट स्पीच की कलनूनी स्थतलल:
 - भाषण की स्वतंत्रतल और हेट स्पीच:
 - अनुच्छेद 19(2) इस अधकरल पर उचतल प्रतलबंध लगलतल है, इसके उपयोग और दुरुपयोग को संतुलतल करतल है ।
 - संप्रभुतल, अखंडतल, सुरकृषल, वदलशी राज्यों के साथ मैतरीपूर्ण संबंध, सलरुवजनकल वयवस्थल, गरमल, नैतकलतल, न्यललललय की अवमलननल, मलनहलनल अथवल कसलीं अपरलध को भड़कलने के हतल में प्रतलबंधों की अनुमतल है ।
 - भारतीय दंड संहतलल:
 - IPC की धलरल 153A तथल 153B:
 - समूहों के बीच शतरुतल और घृणल उत्पन्न करने वललों को दंडतल करनल ।
 - IPC की धलरल 295A:
 - दंडलतुमक कृत्यीं से संबंधतल है जो जलनबूझकर अथवल दुरुभलवनलपूर्ण उददेश्य से एक वरुग के वयक्तलयीं की धलरुमकल भलवनलओं को ठेस पहुंचलते हैं ।
 - धलरल 505(1) तथल 505(2):

- ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध मानना जो वभिन्न समूहों के बीच दुर्भावना या घृणा उत्पन्न कर सकती है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951:
 - RPA, 1951 की धारा 8:
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवैध उपयोग के लिये **दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकता है।**
 - RPA की धारा 123(3A) तथा 125:
 - चुनावों के संदर्भ में नस्ल, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के वभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता अथवा घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने पर रोक लगाता है और साथ ही इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के अंतर्गत शामिल करता है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:
 - सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर **अनुसूचित जाति** अथवा **अनुसूचित जनजाति** को लक्षित करने वाले घृणास्पद भाषण पर **प्रतिबंध** लगाता है।
- नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955:
 - यह मौखिक अथवा लिखित शब्दों के माध्यम से या संकेतों एवं दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा अथवा अस्पृश्यता को उकसाने एवं प्रोत्साहित करने पर दंड का प्रावधान करता है।

घृणास्पद भाषण से संबंधित न्यायिक मामले:

- शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ और अन्य, 2022:
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि जब तक वभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव से रहने के लिये सक्षम नहीं होंगे, तब तक **बंधुत्व** स्थापित नहीं हो सकता।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और सरकारों एवं पुलिस अधिकारियों को औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किये बिना ऐसे मामलों में **स्वतः कार्रवाई** करने का निर्देश दिया है।
- प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ, 2014 मामला:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नफरत हेट स्पीच को दंडित नहीं किया क्योंकि यह भारत में किसी भी कानून में मौजूद नहीं है बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायिक अंतरिक** के विवाद से बचने के लिये **वधि आयोग से इस मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध** किया।
- श्रेया सधिल बनाम भारत संघ, 2015:
 - **संवधान के अनुच्छेद 19(1)(A)** द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A** के बारे में मुद्दे उठाए गए थे, जहाँ न्यायालय ने चर्चा, वकालत तथा उत्तेजना के बीच अंतर किया और माना कि पहले दो अनुच्छेद 19(1) का सार थे।

हेट स्पीच के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उजागर करना:

- **हेट स्पीच के परिणामों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना**, साथ ही व्यक्तियों एवं समाज पर इसके हानिकारक प्रभावों को उजागर करना।
- मौजूदा कानूनों को मज़बूत करना या विशेष रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण को लक्षित करने वाले नए कानून स्थापित करना, **जमीडिया साक्षरता, संवाद, जवाबी भाषण, स्व-नियमन एवं नागरिक समाज की भागीदारी जैसे अन्य उपायों से पूरक हों।**
 - ये उपाय हेट स्पीच को फैलाने से रोकने, इसके आख्यानो को चुनौती देने, **वैकल्पिक आवाज़ों को बढ़ावा देने और सहिष्णुता एवं सम्मान की संस्कृति** को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
- **वधायकों के लिये आचार संहिता स्थापित करना और लागू करना, हेट स्पीच हेतु सांसदों एवं राजनीतिक दलों को ज़िम्मेदार ठहराना तथा इसके प्रसार को हतोत्साहित करने के लिये मीडिया नैतिकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।**

नबिर्करष:

सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के बीच नैतिक आचरण की तत्काल आवश्यकता है। हेट स्पीच के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत कल्याण के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये, शिक्षा को बढ़ावा देना, कानून को मज़बूत करना और आचार संहिता लागू करना देश में सहिष्णुता, सम्मान एवं ज़िम्मेदार शासन की संस्कृति को बढ़ावा देने में आवश्यक कदम हैं।